भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3150
दिनांक 06 अगस्त, 2026

प्राकृतिक गैस की पहुंच का विस्तार

†3150.**श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**
श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू, वाणिज्यिक तथा संस्थागत उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस की पहुंच का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) तथा अन्य वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उपायों तथा उनके अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का विशेषकर त्रिपुरा में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है, जिसमें,अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। 12/12ए सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के बाद, प्राकृतिक गैस, एक स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए, पीएनजीआरबी ने देश के पूरे मुख्य भूमि क्षेत्र को कवर करते हुए 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कम्पनियों को प्राधिकृत किया है। दिनांक 31.05.2026 तक, प्राधिकृत कम्पनियों ने देश भर में 1.70 करोड़ से अधिक पीएनजी (डी) कनेक्शन, 52,143 पीएनजी (वाणिज्यिक) कनेक्शन, 22,256 पीएनजी (औद्योगिक) कनेक्शन प्रदान किए हैं और 8,936 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं।

त्रिपुरा राज्य में, पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाले 5 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को प्राधिकृत किया है। दिनांक 31.05.2026 तक, प्राधिकृत सीजीडी कम्पनियों ने राज्य में 71,344 पीएनजी (डी) कनेक्शन, 567 वाणिज्यिक कनेक्शन और 48 औद्योगिक कनेक्शन प्रदान किए हैं।

सरकार ने देश भर में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस तक पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें घरेलू प्राकृतिक गैस का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से गैस का विपथन, दो तिमाहियों के आधार पर पहले से आवंटन और गहरा पानी, अति-गहरा पानी, और उच्च दबाव, उच्च तापमान वाले स्रोतों से गैस के आवंटन में सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को प्राथमिकता देना शामिल है, जहाँ भी आनुपातिक वितरण आवश्यकता होती है । इसके अलावा, सरकार ने

सीजीडी नेटवर्क और राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों का विकास, सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा प्रदान करने आदि सहित बुनियादी ढांचे संबंधी उपाय किए हैं।

सरकार तेल और गैस विपणन कंपनियों द्वारा सुनिश्चित ऑफटेक के उपायों, सीजीडी नेटवर्क और राष्ट्रीय गैस ग्रिड में सीबीजी के इंजेक्शन के लिए अवसंरचना का विकास, बायोमास एकत्रीकरण के लिए सहायता और सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंडों में सीबीजी की चरणबद्ध अनिवार्य बिक्री सहित एसएटीएटी और गोबरधन जैसी पहलों के माध्यम से संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) को एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी बढ़ावा दे रही है।

पीएनजीआरबी ने सीजीडी कम्पनियों के सहयोग से 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 शुरू किया है। पीएनजीआरबी ने सूचित किया है कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, नए कनेक्शनों को बढ़ावा देना और गैर-बिल वाले ग्राहकों को सक्रिय करना है, जिसका समग्र उद्देश्य विविध उपयोगकर्ता श्रेणियों में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाना है। इस पहल के तहत, सरकार और प्राधिकृत सीजीडी कम्पनियों द्वारा विभिन्न उपायों को लागू किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के लिए पीएनजी कनेक्टिविटी का विस्तार;
ii. कनेक्टेड घरों को सक्रिय बिल वाले उपभोक्ताओं में बदलना;
iii. जागरूकता अभियान और उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम;
iv. त्वरित वैधानिक अनुमतियों के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय; और
v. सीजीडी कम्पनियों द्वारा पेश की जाने वाली डिजिटल पंजीकरण, सरलीकृत कनेक्शन प्रक्रियाओं और प्रचार योजनाओं सहित उपभोक्ता-अनुकूल उपायों का कार्यान्वयन।

सरकार ने देश भर में पाइपलाइन बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश भी अधिसूचित किया है। यह आदेश सख्त समयसीमा को अनिवार्य करके, देरी के मामले में डीम्ड अनुमोदन को सक्षम करके और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाकर मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियां प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है। यह गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित करके आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुंच के मुद्दों को भी समाधान करता है, जिससे पाइपलाइन बिछाने में प्रमुख बाधाओं को दूर किया जा सके।

पीएनजीआरबी ने टैरिफ जोन को तीन से घटाकर दो करके एकीकृत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया है और जोन-1 (300 किमी तक) के लिए 54.00 रुपये प्रति एमएमबीटीयू और जोन-2 (300 किमी से अधिक) के लिए 110.02 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के परिवहन टैरिफ को अधिसूचित किया है, जो 01.04.2026 से प्रभावी है। सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) के लिए जोन-1 टैरिफ को देश भर में बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 300 किमी से अधिक उपभोक्ताओं के लिए परिवहन शुल्क में लगभग 50% की कमी आई है। परिवहन शुल्क में कमी उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस की वितरित लागत विशेष रूप से अन्य लागू लागत घटकों के अधीन उन उद्योगों के लिए जो गैस स्रोत से 300 किमी से अधिक दूरी के क्षेत्रों में स्थित हैं, को कम करने में योगदान देती है ।
